राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 14 सितम्बर, 2017

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित नगर निकायों के उप चुनाव माह अक्टूबर, 2017 के लिये मतदान दिनांक 04.10.2017 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 02.10.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 04.10.2017 को सायं 5.00 बजे तक एवं मतगणना दिवस पर दिनांक 06.10.2017 को** मतगणना समाप्ति तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.4(1)(4)नपा/रानिआ/2017/2456 दिनांक 05.09.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर..
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त..
10. जिला आबकारी अधिकारी...
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Rajesh Issrani, 2016/Dry Day

नगरनिकाय उप चुनाव माह अक्टूबर 2017 हेतु रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपरिषद/ नगरनिगम/ न.पा. का नाम	रिक्त वार्ड संख्या	वर्गीकरण
1.	जयपुर	नगरनिगम, जयपुर	76	सामान्य
2	करौली	न.पा टोड़ाभीम	19	अनु0 जन जाति
3	सीकर	न.पा लोसल	24	अनु0 जाति
4	टोंक	न.पा मालपुरा	09	सामान्य महिला
5	पाली	न.पा खुड़ाला फालना स्टेशन	01	अनु0 जाति

माह अक्टूबर, 2017 हेतु उपचुनाव कार्यक्रम

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	15.09.2017 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.09.2017 (बुधवार)
	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय	(प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	22.09.2017 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	26.09.2017 (मंगलवार) (अपराह्न 3.00 बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	27.09.2017 (बुधवार)
6.	मतदान की तिथि (मतदान यदि आवश्यक हुआ तो)	04.10.2017 (बुधवार) (प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक)
7.	मतगणना	06.10.2017 (शुक्रवार) (प्रातः 8 बजे से)

नोटः– दिनांक 16.09.2017 (शनिवार) एवं 17.09.2017 (रविवार) को राजपत्रित अवकाश होने के कारण नामनिर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेगे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

5/9/17